बैजनाथ में दशहरा पर नहीं जलाते रावण का पुतला

धार्मिक आस्था और रावण से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं इसका कारण

मुनीष दीक्षित • जागरण

बैजनाथ: देशभर में दशहरे पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में न तो रावण का पुतला जलाया जाता है और न ही पारंपरिक रूप से दशहरा उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था और रावण से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं हैं।

मान्यता के अनुसार, रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और नौ सिर काटकर हवन कुंड में अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया। बैजनाथ को रावण की तपोस्थली माना जाता है। इसलिए यहां उसे शिव का अनन्य भक्त भी माना जाता है।

चंबा जिले के भरमौर में भी पुतला जलाने को अशुभ मानते हैं लोग

जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल मुख्यालय भरमौर और आसपास के क्षेत्रों में दशहरे पर न तो रामलीला का मंचन होता है और न ही रावण का पुतला जलाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार, रावण भगवान शिव का परम भक्त और महान विद्वान था। चूंकि यह क्षेत्र भगवान भोलेनाथ की तपोस्थली है, इसलिए यहां शिवभक्त रावण का पुतला जलाना शुभ नहीं माना जाता।

शिमला के रामपुर में कभी घड़ा फोड़कर मनाते थे दशहरा

शिमला जिले के रामपुर में वर्ष 1990 तक घड़ा फोड़कर दशहरा मनाया जाता था। पदम स्कूल के मैदान के साथ लगते पदम क्लब में मुख्य अतिथि बंदूक से गोली चलाकर घड़ा फोड़ते थे। भगवान रघुनाथ जी के रथ को मंदिर से दशहरा स्थल तक लाने की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। सेवानिवृत्त खंड चिकित्सा अधिकारी आत्मा राम केदारटा और बागवानी विभाग के सेवानिवृत्त एचडीओ सूरत सिंह ने बताया कि घड़े में जलता हुआ दीपक रखा जाता था। घड़ा फोड़ने से पहले भगवान रघुनाथ जी का रथ पुराने बस स्टैंड स्थित अयोध्यानाथ मंदिर से पदम स्कूल तक लाया जाता था। रामलीला क्लब के पूर्व निदेशक सीता राम ने बताया कि पैसे की तंगी, सुविधाओं के अभाव के कारण घड़े को ही फोड़ा जाता था। अब यहां दशहरा उत्सव पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है।

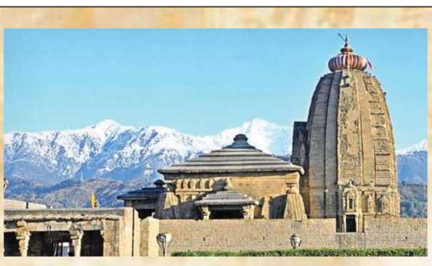

बैजनाथ स्थित भगवान शिव का मंदिर • जागरण

एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक, रावण शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था। शर्त थी कि शिवलिंग को रास्ते में जमीन पर नहीं रखना है, लेकिन बैजनाथ के निकट वह जमीन पर स्थापित हो गया। इसी स्थान पर भगवान शिव का प्रसिद्ध धाम विकसित हुआ।

बताते हैं कि अतीत में कुछ लोगों ने रावण दहन की परंपरा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन अनिष्ट के बाद इसे बंद कर दिया गया। बैजनाथ और पपरोला के बीच पुराने पैदल रास्ते के निकट एक मंदिर में बड़ा पैर का निशान भी है, जिसे रावण से जोड़कर देखा जाता है।

(इनपुट सहयोग : भरमौर से मनोज, रामपुर से संजय, कुल्लू से दविंद्र)

देशभर में दशहरा का समापन, कुल्लू में होता है आरंभ

देशभर में जहां विजयादशमी पर रावण दहन के साथ दशहरा उत्सव का समापन होता है, वहीं देवभूमि कुल्लू में इससे अगले दिन सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव आरंभ होता है। यहां न रामलीला का मंचन होता है और न ही रावण का पुतला जलाया जाता है। उत्सव के सातवें दिन ब्यास नदी के किनारे लंका बेकर में विशेष धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। यहां अष्टांग बलि की औपचारिकता के बाद घास और झाड़ियों के तीन अलाव जलाए जाते हैं। इसके साथ भगवान रघुनाथ जी रथ पर सवार होकर मंदिर लौटते हैं और देवी-देवता भी अपने-अपने देवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं। मान्यता के अनुसार, राजा जगत सिंह के शासनकाल में वर्ष 1649 में भगवान रघुनाथ जी की त्रेतायुगीन मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी।

धर्मशाला बना बास्केटबाल चैंपियनशिप, कांगड़ा उपविजेता

विजेता टीम के खिलाड़ी मुख्य अतिथि से पुरस्कार प्राप्त करते हुए • जागरण

संवाद सहयोगी, जागरण • कांगड़ा : अंतरमहाविद्यालय बास्केटबाल (पुरुष) प्रतियोगिता का एमसीएम डीएवी कालेज कांगड़ा में समापन हुआ। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला ने खिताब जीता, जबकि मेजबान एमसीएम डीएवी कालेज कांगड़ा उपविजेता रहा। राजकीय महाविद्यालय भोरंज ने तीसरा स्थान हासिल किया। फाइनल में धर्मशाला ने कांगड़ा को 76-57 से हराया। इससे पहले, पहले सेमीफाइनल में मेजबान कालेज ने पालमपुर को 80-16 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में धर्मशाला ने भोरंज को 55-28 से हराया। तीसरे स्थान के मुकाबले में भोरंज ने पालमपुर को 73-46 से शिकस्त दी।

समापन समारोह में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के उपाध्यक्ष अजय वर्मा मुख्य अतिथि रहे। कालेज के प्राचार्य डा. बलजीत सिंह पटियाल ने उनका स्वागत किया। वर्मा ने विजेताओं को सम्मानित किया।

हाई कोर्ट का निर्देश, अभी घट्टा टोल प्लाजा में वसूला जाएगा बढ़ा शुल्क

संशोधित दरें वसूलने पर रोक के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने के कहा

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को अहम अंतरिम राहत दी है।

कोर्ट निर्णय 1

न्यायाधीश चिराग भानु सिंह ने कांगड़ा (धर्मशाला) जिला उपभोक्ता फोरम के उस आदेश पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत घट्टा फीस प्लाजा पर संशोधित यूजर फीस वसूलने पर रोक लगा दी गई थी।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कांगड़ा ने 17 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर एनएचएआइ को घट्टा टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें वसूलने से रोक दिया था। इस आदेश के खिलाफ एनएचएआइ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। एनएचएआइ का तर्क था कि जिला उपभोक्ता फोरम ने उनका पक्ष सुने बिना और बिना कोई जवाब दाखिल करवाए ही यह एकतरफा अंतरिम आदेश पारित कर दिया। नियमानुसार जिला फोरम के इस आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की जानी चाहिए थी, लेकिन दशहरे की छुट्टियों की वजह से राज्य उपभोक्ता आयोग बंद है और अब यह 26 अक्टूबर को खुलेगा। ऐसे में एनएचएआइ ने अदालत से गुहार लगाई कि अपील दायर करने की वैधानिक अवधि के दौरान उन्हें राहत प्रदान की जाए। हाई कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया और एनएचएआइ को वैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्य आयोग के पास जाने की छूट दी। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि एनएचएआइ 26 अक्टूबर को राज्य उपभोक्ता आयोग के खुलते ही उसके समक्ष अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। जब तक राज्य आयोग इस मामले की सुनवाई नहीं करता, तब तक घट्टा फीस प्लाजा पर यूजर फीस को लेकर दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे। अदालत ने यह भी पाया कि संशोधित दरें पहले ही पहली अक्टूबर 2026 से लागू हो चुकी हैं।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एनएचएआइ को दी राहत, कांगड़ा (धर्मशाला) जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर रोक

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर प्रदेश सरकार व एनएचएआइ को नोटिस

शिमला : हिमाचल हाई कोर्ट ने कुमारहट्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पैदल ओवरब्रिज के निर्माण पर दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार और एनएचएआइ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ द्वारा दिया गया है।

कोर्ट निर्णय 2

बाबी राणा नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा है कि कुमारहट्टी सड़क के दूसरी ओर स्थित डगशाई स्कूल 1935 से चल रहा है और यह बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। सड़क के फोरलेन होने से बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए हर दिन इस व्यस्त एनएच को पार करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस एनएच पर पैदल चलने वालों के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह क्रासिंग ठीक एक फ्लाईओवर के बाद आती है, जहां गाड़ियां बेहद तेज रफ्तार में निकलती हैं। इसके अलावा कोर्ट में कुछ तस्वीरें भी पेश की गईं, जो यह दिखाती हैं कि पहाड़ी का हिस्सा और आरसीसी ढांचे को सहारा देने वाली ढंगे (पत्थर की दीवारें) कमजोर स्थिति में हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यहां एक पैदल ओवर-ब्रिज बनाना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को तय की है, तब तक दोनों प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

फतेहपुर के रजत जीएसआइ में केमिस्ट ग्रुप ए पद पर चयनित

यूपीएससी की संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा-2026 में देशभर में रहे प्रथम, सीएसआइआर-नेट जेआरएफ में आल इंडिया 54वां रैंक था

रजत शर्मा • जागरण

संवाद सहयोगी, जागरण • फतेहपुर : कांगड़ा जिले के फतेहपुर स्थित भटोली पकवां गांव के रजत शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा-2026 में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। उनका चयन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) में केमिस्ट ग्रुप ए पद पर हुआ है। परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर 2026 को घोषित किया। रजत की सफलता से गांव और क्षेत्र में प्रसन्नता का माहौल है। उनकी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी है। रजत ने प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय कांगड़ा से प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कालेज से रसायन शास्त्र में बीएससी आनर्स किया। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की से रसायन शास्त्र में एमएससी की पढ़ाई 9.06/10 सीजीपीए के साथ पूरी की। सीएसआइआर-नेट जेआरएफ में उन्होंने आल इंडिया रैंक 54 हासिल किया था। रजत के पिता हंसराज सरकारी नौकरी करते हैं, जबकि माता मधुबाला गृहिणी हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
आंचलिक तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा (जैडओएसएआरबी), एस.सी.ओ. 1120-1121, सेक्टर 22-, चंडीगढ़ - 160022
शुद्धिपत्र -
ई-नीलामी बिक्री सूचना
यह हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण में 18.10.2026 को प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में है।
ऋणी- मेसर्स श्री गणेश पॉली प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड की बोली वृद्धि राशि को रु. 1,00,000/- के स्थान पर रु. 50,000/- पढ़ा जाए। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
तिथिः 19.10.2026 प्राधिकृत
स्थानः चंडीगढ़ अधिकारी

सरफराज के शतक से मुंबई मजबूत हिमाचल पर 258 रन की बढ़त बनाई

रणजी ट्राफी

- दूसरे दिन मुंबई ने बनाए 398 रन, सरफराज के 139 रन
- कप्तान सिद्धेश, मुशीर और आकाश ने भी जड़े अर्धशतक

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : बिलासपुर के लुहणू मैदान में चल रहे रणजी ट्राफी एलीट वर्ग के हिमाचल व मुंबई के मुकाबले में मुंबई ने सोमवार को दूसरे दिन सरफराज खान के अविजित शतक और तीन बल्लेबाजों के अर्धशतकों की मदद से अपनी स्थिति मजबूत कर ली। हिमाचल के खिलाफ पहली पारी में मुंबई ने चार विकेट पर 398 रन बना लिए हैं। हिमाचल की पहली पारी 140 रन पर सिमट गई थी, इसके जवाब में मुंबई ने 258 रन की बढ़त बना ली है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 213 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से 139 रन बनाकर नाबाद हैं।

आकाश आनंद 58 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। इससे पहले कप्तान सिद्धेश लड्ड ने 87 और मुशीर खान ने 137 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 57 रन बनाए।

हिमाचल प्रदेश के गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जतिंद्र सिंह राणा और अभिषेक कुमार ने शुरुआती सफलताएं दिलाईं, लेकिन इसके बाद सरफराज और आकाश ने मोर्चा संभाल लिया।

उनकी साझेदारी ने दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

मंडी की शिवानी संभालेंगी प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की कमान

जागरण संवाद केंद्र, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने बीसीसीआइ महिला सीनियर टी-20 एलीट टूर्नामेंट 2026-27 के लिए हिमाचल की टीम घोषित कर दी है। टीम की कमान मंडी की शिवानी संभालेंगी। 16 सदस्यीय टीम में कांगड़ा से हरलीन देओल, ज्योति ठाकुर, किन्नौर से सुष्मिता कुमारी, कुल्लू से ललिता दत्ता, मोनिका देवी, यमुना देवी, मंडी से नीना चौधरी, निकिता एम चौहान, सोनल ठाकुर, शिमला से देवांशी वर्मा, हिमांशी मेहता, निकिता एस चौहान, प्राची चौहान, सुषमा वर्मा और वासुवी फिस्टा को शामिल किया है।

स्पोर्ट स्टाफ में मुख्य कोच ए देशपांडे, असिस्टेंट कोच प्रेम सिंह, फिल्डिंग कोच शिवानी शर्मा, फिजियो सतविका कपिला, प्रियंका कुमारी, वीडियो एनलिस्ट संजीव वर्मा, मैनेजर सोनाली ठाकुर व शिव कपूर शामिल हैं। एचपीसीए सचिव मनुज शर्मा ने बताया कि हिमाचल की सीनियर महिला टीम 26 अक्टूबर से छह नवंबर तक सात टी-20 मुकाबले खेलेगी। मुल्लांपुर में 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, मोहाली में 27 को ओडिशा, 29 को राजस्थान, मुल्लांपुर में 31 को हरियाणा, दो नवंबर को आंध्र प्रदेश, मोहाली में चार नवंबर को बड़ोदा तथा मुल्लांपुर में छह नवंबर को सौराष्ट्र के विरुद्ध हिमाचल की महिला टीम मैच खेलेगी।

रेव पार्टियों के आयोजन पर रोक की मांग पर सुनवाई 19 नवंबर को

- जनहित याचिकाओं और प्रतिवेदनों पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने लिया संज्ञान
- पर्यावरण संगठनों ने प्रशासन से रेव पार्टियों की अनुमति न देने की उठाई पुरजोर मांग

जागरण संवाददाता,मंडी : प्रदेश उच्च न्यायालय में कसोल और मनाली के पर्यटन क्षेत्रों में रेव पार्टियों के आयोजनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं और मामलों पर मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपीन सी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

अदालत में प्रस्तुत मामलों (सीडब्ल्यूपी नंबर 83 आफ 2018 व अन्य संबंध मामलों) की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि विभिन्न पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें ग्राम पंचायत बंदरोल (कुल्लू) के प्रधान हरीश शर्मा और हिमालयन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, लोअर ढालपुर के अध्यक्ष अभिषेक राय की ओर से विशेष आवेदन दिए गए हैं। इन याचिकाओं और ज्ञापनों में कुल्लू जिले के संवेदनशील और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों जैसे कसोल और मनाली में होने वाली रेव पार्टियों पर गंभीर चिंता जताई गई है।

स्थानीय प्रतिनिधियों और पर्यावरण प्रेमियों का तर्क है कि इस प्रकार के आयोजनों से क्षेत्र की शांति, कानून-व्यवस्था और युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही यहां की पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

इसी के मद्देनजर प्रशासन से इन पार्टियों के लिए अनुमति न दिए जाने की गुहार लगाई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत अब 19 नवंबर को सभी पक्षों के तर्कों को सुनेगी और इस पर विस्तृत विचार करेगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन और उप महाधिवक्ता सिद्धार्थ जल्टा समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) भी उपस्थित रहे।

COURT NOTICE
(U/o 5 Rule 20 CPC)
IN THE COURT OF
Ms. Navneet Kaur
Civil Judge Jr. Div. Chandigarh

STATE BANK OF INDIA
Vs.
RAMAMURTHI M.N.

SUIT FOR RECOVERY
CNR No. CHCH02-001367-2023
Next Date:- 27-10-2026

PUBLICATION ISSUED TO:
RAMAMURTHI M.N.
Son :-N.B. MARVENDAHALLI
PLOT NO 103, BLOCK 2, LILLY
PH-IV, AMRAVATI APARTMENTS
SAI ROAD, BADDI, HP-173205
2ND ADDRESS
SH. RAMMURTHI M.N. S/O N.B. MARAVENAHALLI WORKING IN MAHAVIR PLASTIC INDUSTRIES UNIT 2, HPSIDC INDUSTRIAL AREA, BADDI, DISTRICT SOLAN HP

In above titled case, the defendant(s) / respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s) /respondent(s) should appear in person or through counsel on 27.10.2026 at 10.00 a.m.
for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Chandigarh
Civil Judge Jr. Div.
Chandigarh
Dated, the day of 19.09.2026

कार्यालय वसूली अधिकारी-I/II
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 1)
दूसरी मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
मांग सूचना
ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना।
आरसी/1/2025 25-09-2026
भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
श्री सुभाष ठाकुर
सेवा में,
(सीडी 1) श्री सुभाष ठाकुर पुत्र श्री संत राम, निवासी ग्राम प्राला कौशट, डाकघर पांगना, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
पताः- ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
(सीडी 2) श्री रविंदर ठाकुर पुत्र श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
(सीडी 3) श्री राजेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
(सीडी 4) श्रीमती शकुंतला पत्नी श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
(सीडी 4) श्री संत राम पुत्र श्री मुकुंद राम, उनके कानूनी वारिसों के माध्यम सेः-
कानूनी वारिस-1:- श्री रविंदर ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कानूनी वारिस-2:- श्री सुभाष ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री संत राम, निवासी ग्राम प्राला, कौशट, डाकघर पांगना, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, दूसरा पताः- ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हि.प्र.
कानूनी वारिस-3:- श्री रविंदर ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कानूनी वारिस-4:- श्री राजेश कुमार ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कानूनी वारिस-5:- श्रीमती शकुंतला विधवा स्वर्गीय श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कानूनी वारिस-6:- श्री सुभाष ठाकुर पुत्र श्री संत राम, निवासी ग्राम प्राला कौशट, डाकघर पांगना, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूसरा पताः- ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कानूनी वारिस-7:- श्री राजेश कुमार ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कानूनी वारिस-8:- श्रीमती शकुंतला विधवा स्वर्गीय श्री संत राम, निवासी ग्राम हरिबाग, डाकघर महोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 1) द्वारा ओए/1018/2020 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध 92,16,843.51 रुपये (बानवे लाख सोलह हजार आठ सौ तैंतालीस रुपये और इक्यावन पैसे मात्र) की राशि, साथ ही 21.07.2020 से वसूली तक 15.25% चक्रवृद्धि ब्याज मासिक दर से लंबित और भविष्य के ब्याज तथा 95,005/- रुपये (पचानवे हजार पांच रुपये मात्र) का खर्च (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्णतः/सीमित रूप से) देय हो गया है।
2.आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3.आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तिथि को या उससे पहले अपनी संपत्तियों का विवरण एक शपथ पत्र पर घोषित करें।
4.आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आगे की कार्यवाही के लिए 21.12.2026 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।
5.उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाएगाः
ए) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसा ब्याज।
बी) इस सूचना और वारंट तथा अन्य प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों में हुए सभी लागत, शुल्क और व्यय।
मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के तहत दिनांकः 25.09.2026 को जारी किया गया।
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 1)

कांगड़ा, चंबा और ऊना जिलों की ऐतिहासिक विरासत सहेजने की पहल

ग्रामीण विरासत पुस्तक नाम से विशेष सचित्र ग्रंथ तैयार किया जा रहा, सचित्र ग्रंथ तैयार करने में पंचायत सचिवों का सहयोग भी

जागरण संवाद केंद्र, जसवां परागपुर : पंचायतीराज विभाग ने कांगड़ा, चंबा व ऊना जिलों की अनूठी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और ग्रामीण विरासत को प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में सहेजने के लिए पहल आरंभ की है। इसके तहत ग्रामीण विरासत पुस्तक नाम से विशेष सचित्र ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना पंचायतीराज मंत्रालय के दिशा-निर्देशों व मेरा गांव मेरी धरोहर राष्ट्रीय पहल के तहत उपलब्ध जानकारी व आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य तीन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्थलों, समृद्ध इतिहास, स्थानीय संस्कृति, जीवंत परंपराओं, पौराणिक रीति-रिवाजों, पारंपरिक मान्यताओं व ग्रामीण जीवन के विभिन्न अनछुए पहलुओं को उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों और विस्तृत विवरणों के साथ सूचीबद्ध करना है।

पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त निदेशक नीलम दुल्टा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस पूरे संकलन, जमीनी सत्यापन व पुस्तक निर्माण के तकनीकी कार्य के लिए विभाग ने एक विशेषज्ञ संस्था की सेवाएं ली हैं। आदेश में कहा है कि संबंधित सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने अधीन पंचायतों के अंतर्गत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान करेंगे और क्षेत्र में जाकर सत्यापन, चित्र दस्तावेजीकरण करने वाली टीम को सहायता, पूर्ण सहयोग व आंकड़े उपलब्ध करवाएंगे ताकि यह कार्य तय समय में संपन्न हो सके। आदेश की प्रतियां चंबा, कांगड़ा व ऊना जिलों के जिला पंचायत अधिकारियों को भेजी हैं। साथ ही चंबा, भरमौर, मैहला, भटियात, तीसा, सलूणी, पांगी, कांगड़ा, बैजनाथ, भवारना, देहरा, फतेहपुर, इंदौरा, लंबागांव, नगरोटा बगवां, नगरोटा सूरियां, नूरपुर, पंचरुखी, रैत, परागपुर, सुलह, पालमपुर, धर्मशाला, बड़ोह, सुरानी, ऊना जिले के अंब, बंगाणा, गगरेट व हरोली विकास खंड के खंड विकास अधिकारियों को कार्य में जुटने का निर्देश दिया है। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने बताया कि विशेष सचित्र ग्रंथ तैयार करने में पंचायत सचिवों का सहयोग अपेक्षित है।

फेसबुक पर 'नया सीएम बनने' की पोस्ट डाली, महिला पर केस

संवाद सहयोगी, जागरण • सुंदरनगर : इंटरनेट मीडिया पर हिमाचल में अष्टमी के दिन नया मुख्यमंत्री बनने संबंधी कथित भ्रामक पोस्ट साझा करने के मामले में सुंदरनगर उपमण्डल के पुलिस थाना धनोटू में एक महिला के केस दर्ज किया गया है। नाचन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी घनश्याम राणा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सुंदरनगर उपमण्डल की महिला ने पोस्ट साझा की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे आम जनता में भ्रम फैलने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इससे संबंधित साक्ष्य एवं डाटा एकत्रित किया जा रहा है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
क्षेत्रीय कार्यालय, शिमलाः-
प्रथम तल, डोगरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (संकेत हाइट्स), नियर एप्पल मंडी, भट्टाकुफर, संजौली, शिमला, हि.प्र. - 171006
ई-नीलामी बिक्री सूचना
विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए यहां स्कैन करें
अनुलग्नक-ई
चल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[परिशिष्ट- II ए नियम 6(2) (चल संपत्ति) के साथ]
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के परंतुक के साथ पठित।
आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति/संपत्तियां जो सुरक्षित लेनदार को बंधक/गिरवी/प्रभारित की गई हैं, जिनका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। पहचान किए गए किसी भी बकाया की देयता क्रेता पर होगी, न कि बैंकर पर। उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः-

क्र. सं.	शाखा का नाम और ऋणी/गारंटर एवं मोर्टगेजर	चल/अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय
1.	पावंटा साहिब शाखाः- ऋणीः- श्रीमती निधि शर्मा पत्नी दिनेश शर्मा, निवासी ग्राम अंबोया, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173025	वाहन का हाईपोथेकेशनः- (कार) टाटा नेक्सन एक्सएम 1.5 आरटीक्यू; पंजीकरण संख्या एचपी17जी-2479; चेसिस संख्या एमएटी627132एमएलएच61224; इंजन संख्या 1.5सीआर05एचवाईएक्सडब्ल्यू15834; वाहन का रंगः कैलगेरी व्हाइट; निर्माण वर्षः 2021	रु. 7,01,312/- (मूलधन) + रु. 1,58,375.49 (अनाप्रयुक्त ब्याज) + रु. 23,159/- (ब्याज वापसी) + रु. 47,513/- (दंडात्मक ब्याज)। कुल बकाया - रु. 9,30,359.49 तिथि 04.10.2026 तक + आगे का ब्याज और वसूली तक के शुल्क।	07.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक।	Rs. 3,40,000/- Rs. 34,000/- Rs. 15,000/-	बैंक का भौतिक कब्जा	21.10.2026 से 06.11.2026 सुबह 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक (केवल पूर्व निर्धारित के साथ)

संपर्क नंबरः 62832-85074, प्राधिकृत अधिकारी
• ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 07.11.2026 शाम 04:00 बजे तक।
• ई-नीलामी शुरू होने की तिथि और समयः 07.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक। • ईएमडी भुगतान का तरीकाः एनईएफटी
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm; https://Baanknet.com पर दिए गए लिंक को भी देखें।
इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक 15 दिवसीय बिक्री सूचना माना जा सकता है
तिथिः 19.10.2026 स्थानः पावंटा साहिब (हि.प्र.) प्राधिकृत अधिकारी